न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2022/111 दायरा दिनांक : 11.07.2022

उनवान

1– बृजमोहन आत्मज उदयभान पंजाबी, आयु 52 वर्ष, जाति पंजाबी, निवासी चौमहला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

2– दिलीप कुमार पंजाबी आत्मज उदयभान पंजाबी, आयु 55 वर्ष, जाति पंजाबी, निवासी आनन्द विहार कालोनी, रामगंजमण्डी, जिला कोटा

.... अपीलांट

बनाम

1– चन्दा बाई उर्फ चन्दा रानी पुत्री उदयभान पंजाबी पत्नी श्री जीत कुमार सतीजा, आयु 62 वर्ष, जाति पंजाबी, निवासी 16 गददी मोहल्ला, नियर आर.एस.ई.बी, धानमण्डी के पास रामगंजमण्डी, जिला कोटा

2– सुशीला मल्होत्रा पुत्री उदयभान पंजाबी पत्नी श्यामलाल मल्होत्रा, निवासी मकान नम्बर 301 लसुडिया मोरी शिव वाटिका, इन्दौर

3– उषादेवी विधवा मनोहरलाल, जाति पंजाबी, निवासी 247/248 पटेल नगर कालोनी, बुधवारिया चौराहे के पास उज्जैन जिला उज्जैन म0 प्र0

4– प्रेम कुमार पिता मनोहरलाल, जाति पंजाबी, निवासी 247/248 पटेल नगर कालोनी, बुधवारिया चौराहे के पास उज्जैन जिला उज्जैन म0 प्र0

5– संजय कुमार पिता मनोहरलाल, जाति पंजाबी निवासी 247/248 पटेल नगर कालोनी, बुधवारिया चौराहे के पास उज्जैन जिला उज्जैन म0 प्र0

6– अमित कुमार पिता मनोहरलाल, जाति पंजाबी निवासी 247/248 पटेल नगर कालोनी, बुधवारिया चौराहे के पास उज्जैन जिला उज्जैन म0 प्र0

7– ओम प्रकाश पिता उदयभान, जाति पंजाबी लक्ष्मी ट्रेक्टर आटो पार्टस, पंचायत भवन के पास, चौमहला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड

8– गोविन्द लाल पिता उदयभान, जाति पंजाबी सब्जीमण्डी, चौमहला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

9– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गंगधार, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री अमितोषाचार्य अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री तृप्ति गौरव बाहेती अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 2,3,5,6,7 की ओर से शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित

निर्णय दिनांक : 29.09.2023

1 यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार के प्रकरण संख्या – 00054/दावा/2019 निर्णय दिनांक 30.03.2021 एवं डिक्री में मुकदमा सं. 00028/2020 दिनांक 05.07.2021 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है । **अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री में अलग अलग प्रकरण संख्या, डिक्री मिसल नं. व दिनांक भिन्न अंकित है।**

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

2 अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट नम्बर 1 व 2 द्वारा एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम रापाखेडी पटवार हल्का भाटखेड़ी, तहसील गंगधार की जमाबंदी संख्या 94 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 324 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा के संबंध में यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। वादग्रस्त आराजी पूर्व में वादीगण व प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 के पिता श्री उदयभान की खातेदारी की थी, खातेदार उदयभान की मृत्यु के बाद नामान्तरकरण संख्या 189 के द्वारा वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 के संयुक्त खातेदारी में दर्ज हुई। वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक पुश्तैनी आराजी है। वादीगण मृतक खातेदार उदयभान की पुत्रियां हैं तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 8 की बहिने हैं। वादीगण का भी वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी के साथ समान हित हिस्सा है। वादीगण वादग्रस्त भूमि के समभाग की खातेदार कृषक है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार ने अपने निर्णय दिनांक 30.03.2021 एवं डिक्री में मुकदमा सं. 00028/2020 डिक्री दिनांक 05.07.2021 से वादी का वाद स्वीकार किया तथा वादग्रस्त आराजी ग्राम रापांखेड़ी के खसरा नम्बर 324 रकबा 2.11 बीघा आराजी पर वादीगण को प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 8 के साथ समान भाग का खातेदार कृषक घोषित किया गया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई।

3 अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली, संग्रह–सार एवं विधि के सर्वमान्य सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुरूप विधिक प्रक्रिया को अमल में नहीं लाया गया, जिससे सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया दूषित हो गई है, जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार ने वादी रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत वाद में अपीलांट को किसी भी प्रकार का कोई विधिक सूचना पत्र बाबत् विवाद्यक के स्थिरीकरण का नहीं भिजवाया और ना ही किसी भी तरह से वाद में भाग लेने और जवाबदेही करने हेतु कोई नोटिस भिजवाया है जिस कारण अपीलांट्स को अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद एवं उसमें की जाने वाली कार्यवाहियों की सूचना प्राप्त नहीं हो सकी, जिस कारण अपीलांट विधिक प्रक्रिया में अपना पक्ष रखने से वंचित हो गये। जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को सूचना दिये बगैर न्यायालय ने सभी की उपस्थिति को दर्ज होना गलत रूप से माना तथा इसी प्रकार सभी प्रतिवादीगण का इकबाली जवाब प्रस्तुत होना माना जिससे यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वयं की पत्रावली का अवलोकन मनन विधिक रूप से नहीं किया गया। प्रकरण की आदेशिका दिनांक 13.03.2020 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी नम्बर 01 से 06 की ओर से श्रीरामचन्द सिंह झाला अधिवक्ता ने वकालतनामा व जवाब प्रस्तुत करना उल्लेखित किया है और प्रतिवादी नम्बर 07 व 08 (अपीलांट्स) के सन्दर्भ में आदेशिका मौन है और प्रकरण आदेश में लगा दिया गया है। जो कि केवल सरसरी रूप प्रकरण का जल्दबाजी में निस्तारण कर निर्णित कर दिया गया। जो कि विधिक प्रक्रिया का एवं राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के प्रावधानों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है। इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार द्वारा प्रकरण में तनकीयात को कायम नहीं किया गया और ना ही साक्ष्य ली गई है फिर भी विधि विरूद्ध तरीके से निर्णय पारित किया गया है। इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आराजियात के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई रिपोर्ट तहसील गंगधार के राजस्व अधिकारियों हल्का पटवारी से प्राप्त नहीं की। वादग्रस्त आराजी के वास्तविक कब्जे काश्त व उपयोग और उपभोग के संदर्भ में कोई जानकारी प्राप्त नहीं की, इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने जब वाद पत्र दिनांक 14.02.2020 को प्रस्तुत किया गया था तो उसका प्रकरण संख्या मुताबिक निर्णय दिनांक 30.03.2021 प्रकरण संख्या 54/दावा/2019 से निर्णित किया जो कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जा रही दूषित प्रकिया को स्पष्ट करता है। इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने जो डिक्री जारी की गई उसमें मुकदमा नम्बर 28/2020 सन् 2020 से दिनांक 05.07.2021 को जारी की गई लिखा गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि निर्णित किया गया मुकदमा 54/2019 से दिनांक 30.03.2021 और जारी डिक्री मुकदमा नम्बर 28/2020 सन् 2020 से दिनांक 05.07.2021 से निर्मित हुई है। जो कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जा रही दूषित प्रकिया को स्पष्ट करता है। इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.03.2021 एवं डिक्री दिनांक 05.07.2021 को निरस्त फरमाया जावे।

4 अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 20.10.2021 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

5 अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

6 हमने बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए.आई.आर.1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रकियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

7 हमने बहस अभिभाषक अपीलांट व अभिभाषक रेस्पोडेंट नम्बर 2, 3, 5 लगायत 7 सुनी गई। रेस्पोडेंट नम्बर 1, 4 व 8 बाद सूचना अनुपस्थित रहे। अपील अपीलांट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी रेस्पोडेंट नम्बर 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार कर अपने निर्णय दिनांक 30.03.2021 द्वारा वादी रेस्पोडेंट नम्बर 1 व 2 को वादी द्वारा वाद पत्र के साथ सलंग्न नामान्तरकरण रिपोर्ट में पटवारी द्वारा प्रस्तुत सजरे एवं प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 6 की ओर से प्रस्तुत इकबाली जवाब के आधार पर वादी रेस्पोडेंट नम्बर 1 व 2 को उदयभान की पुत्रियां

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

स्वीकार करते हुए वादी रेस्पोडेंट नम्बर 1 व 2 को वादग्रस्त आराजी ग्राम रापांखेड़ी के खसरा नम्बर 324 रकबा 2.11 बीघा आराजी पर वादीगण रेस्पोडेंट नम्बर 1 व 2 को प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 8 के साथ समान भाग का खातेदार कृषक घोषित करते हुए दिनांक 05.07.2021 को डिक्री जारी की। तहसीलदार गंगधार द्वारा डिक्री की पालना नामान्तरकरण संख्या 602 दिनांक 01.10.2021 से करते हुए पालना रिपोर्ट अपने पत्र दिनांक 20.10.2021 के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय को प्रस्तुत की गई, जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी के क्रम में पारित निर्णय दिनांक 30.03.2021 व डिक्री दिनांक 05.07.2021 के क्रम में अपीलांट प्रतिवादीगण नम्बर 7 व 8 का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि के सर्वमान्य सिद्धांतों के विपरीत है क्योंकि प्रस्तुत वाद में अपीलांट को नोटिस की तामील नहीं करवाई गई, जिससे अपीलांट अपना पक्ष रखने से वंचित हो गये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से अपीलांट की तामील नही होना पाया गया। पत्रावली की आदेशिका दिनांक 13.03.2020 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी नम्बर 1 व 6 की ओर से अभिभाषक रामचन्द्र सिंह झाला उपस्थित हुए, परन्तु प्रतिवादी नम्बर 7 व 8 की उपस्थिति या तलबी के क्रम में सम्पूर्ण आदेशिका पर कोई उल्लेख नहीं है, जो सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 में उल्लेखित विधिक प्रावधानों का उल्लंघन है। अपीलांट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तनकीयात को कायम नहीं किया गया और ना ही साक्ष्य लेखबद्ध की गयी। अपीलांट का यह कथन भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से सही साबित होना पाया गया। वाद के निस्तारण हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो तनकीयात कायम की गई और ना ही साक्ष्य लेखबद्ध किये गये, जो विधिक प्रावधानों का उल्लंघन है। इसी प्रकार अपीलांट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने जो डिक्री जारी की उसमें मुकदमा नम्बर 28/2020 सन् 2020 से दिनांक 05.07.2021 को जारी की गई लिखा गया है, परन्तु निर्णय दिनांक 30.03.2021 में प्रकरण संख्या 00054/दावा/2019 अंकित करते हुए निर्णय पारित किया, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जा रही दूषित प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न निर्णय दिनांक 30.03.2021 व डिक्री दिनांक 05.07.2021 के अवलोकन से अपीलांट का यह कथन भी सही होना पाया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के कवर पृष्ट पर 2020/00028 अंकित है साथ ही पत्रावली में सलंग्न तहसीलदार व पटवारी की रिपोर्ट एवं न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारीं, कोटा को प्रकरण की पत्रावली प्रेषित करने हेतु लिखे गये पत्र पर भी प्रकरण संख्या 2020/00028 ही अंकित होना पाया गया, जिससे प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि निर्णय दिनांक 30.03.2021 में टंकण की त्रुटिवश प्रकरण संख्या 00054/दावा/2019 अंकित हो गया है, जिसे बाद जांच सही करना विधिक रूप से आवश्यक है।

8 अतः अपील में अंकित समस्त तथ्यों व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन तथा उभयपक्षों को सुनने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वादीगण रेस्पोडेंट नम्बर 1 व 2 प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 6 की ओर से प्रस्तुत इकबाली जवाब व पटवारी द्वारा नामान्तरकरण रिपोर्ट में प्रस्तुत सजरे के आधार पर उदयभान की पुत्रियां होने के कारण वादग्रस्त आराजी में अपना हक प्राप्त करने की अधिकारी हैं परन्तु अपीलांट प्रतिवादी नम्बर 7 व 8 भी उदयभान के पुत्र होने एवं राजस्व रेकार्ड के अनुसार सहखातेदारान होने के आधार पर धारा 88, 53 घोषणा एवं बंटवारे के दावे में अपना पक्ष रखने हेतु सुनवाई का अवसर प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

9 उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.03.2021 एवं डिक्री दिनांक 05.07.2021 अपास्त किये जाते हैं तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तनकीयात कायम की जाए व साक्ष्य उभयपक्ष लेखबद्ध करते हुए पुनः विधिक प्रावधानों के अनुरूप तनकीवार निर्णय पारित किया जाए। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार के न्यायालय में दिनांक 21.11.2023 को उपस्थित होवे।

10 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

29/09/2023

(दीप्ति सत्यनेन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा